

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि./पुरस्कार/2017-18 /01

दिनांक 15/08/18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/ द्वितीय),
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले।

विषय :- आदर्श विद्यालय योजना के संस्था प्रधानों से सत्र 2017-18 के क्रियान्वयन के आधार पर राज्य स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु आवेदन कराने वाले।

प्रसंग :- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2), जयपुर के पत्रांक-प.18(2)शिक्षा-2/ 2016 पार्ट-I, जयपुर दिनांक 09.08.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा आदर्श विद्यालय योजना के (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) के क्रियान्वयन के आधार पर दिनांक 05 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में आदर्श विद्यालयों के तीन संस्था प्रधानों को सम्मानित किया जायेगा।

अतः संलग्न पत्र के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 18.08.2018 तक आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों से आवेदन पत्र भरवाकर जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरांत प्रमाणित करते हुए उपर्युक्त आवेदनों को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर रिथ्त आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ के अन्तर्गत निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति को व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त कार्य को महती गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से सम्पादित करेंगे, आपकी लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र संस्था प्रधान पुरस्कृत होने से वंचित रहता है तो इस हेतु आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।

नोट:- संलग्न प्रपत्र में सत्र 2015-16 एवं 2016-17 के अनुसार गणना की गई है, इस प्रपत्र में सत्र 2017-18 की गणना जोड़ते हुए (सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) तीनों सत्रों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा एवं तत्पश्चात् निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा अनुशंषा के आधार पर ही संस्था प्रधानों को पुरस्कृत किया जावेगा।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि./पुरस्कार/2017-18 /01

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, रा.स्कूल शि.परिषद, जयपुर।
3. प्रभारी, आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ, रा.स्कूल शि.परिषद, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(नूतन बाला कपिल)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 15/08/18

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 4(6)शिक्षा-1 / 2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक 7.7.2017

- | | |
|--|--|
| ✓ 1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर। | ✓ 2. राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर। |
| 3. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर। | 4. आयुक्त,
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,
जयपुर। |
| 5. समस्त कलकटर,
राजस्थान। | |

विषय:-आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम व द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17) उत्कृष्ट विद्यालय योजना के प्रथम चरण (2016-17) के क्रियान्वयन के आधार पर 05 सितम्बर, 2017 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श विद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

महोदय,

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2015-16 के बजट अभिभाषण में प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुनर्गठित ग्राम पंचायतों सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जिसकी अनुपालना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प. 4(6)शिक्षा-1 / 2014 दिनांक 12.5.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2015-16 में 1340 (31 मार्च, 2016 तक), वर्ष 2016-17 में 3097 (31 मार्च, 2017 तक) एवं वर्ष 2017-18 में 5458 (31 मार्च, 2018 तक) आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है।

www.rajteachers.com



इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित एक विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1-8/5) को

शि. आयोजना / उत्कृष्ट वि. / 2016 दिनांक 23.05.2016 द्वारा जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आधारभूत भाषाएँ सुविधाएँ यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भाषाएँ सुविधाएँ, बालक-बालिकाओं के लिये फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ-साथ आई.सी.टी./ कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर, इन्हें **Centre of Excellence** के रूप में विकसित किया जाता है। इन आदर्श विद्यालयों के बारे

विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Center) के रूप में कार्य करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए Centre of Excellence के रूप में विकसित होंगे।

3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों द्वारा ही विभिन्न स्तरों/संस्थाओं एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
4. आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में (31 मार्च 2017 तक) 4437 विद्यालयों एवं उत्कृष्ट योजना के प्रथम चरण (31 मार्च 2017 तक) में 4289 विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं अच्छा कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति उपरांत राज्य के सभी जिलों में आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम व द्वितीय चरण तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का भी चयन किया जाना है। चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन–तीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) को 05 सितम्बर 2017 को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. उपरोक्तानुसार चयन हेतु जिला एवं निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति तथा राज्य स्तर पर चयन समितियां निम्नानुसार गठित की जाती हैं:—

1. **जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति**

आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक 6(2)प्र.सु./ग्रुप-3/2015 दिनांक 15.04.2015 द्वारा गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति।

2. **आदर्श विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति**

अध्यक्ष	—	निदेशक, मा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	—	उपायुक्त, प्रथम, रामाशिप, जयपुर
सदस्य	—	अतिरिक्त निदेशक, मा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	—	उपनिदेशक, जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर
सदस्य	—	सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक मा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य सचिव	—	संयुक्त निदेशक, कार्मिक राज. मा.शि. बीकानेर

3. **उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति**

अध्यक्ष	—	निदेशक, प्रा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	—	उपायुक्त, राप्राशिप, जयपुर
सदस्य	—	अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	—	उपनिदेशक, प्रा.शि., जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर
सदस्य	—	सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक प्रा.शि. राज. बीकानेर

4. राज्य स्तरीय चयन समिति

अध्यक्ष	-	शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
सदस्य	-	निदेशक, मा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	-	निदेशक, रामाशिप, जयपुर
सदस्य	-	अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप, जयपुर
सदस्य	-	संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयो.) विभाग
सदस्य	-	अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर
सदस्य	-	उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय
सदस्य	-	उपायुक्त, राप्राशिप, जयपुर
सदस्य	-	उपायुक्त, प्रथम, रामाशिप, जयपुर
सदस्य	-	अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि. विभाग
सदस्य सचिव	-	विशेषाधिकारी शिक्षा

6. समितियों के कार्य

6.1 जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

(10)

- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक स्तर पर जाँच करेगी एवं जाँच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों का चयन कर उनके आवेदनों को सम्बन्धित निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति को भिजवायेगी।
- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के लिये उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जावेगा। निदेशालय पर भेजे जाने वाले आवेदनों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा तत्पश्चात् विद्यालय में पाई गई उपलब्धि के आधार पर निर्धारित अधिकतम 10 अंकों में से अंक प्रदान किये जायेंगे।

6.2 निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

- निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति, जिला स्तरीय समिति से जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के जिला कलेक्टर की अनुशंसा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगी।
- जाँच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रथम 10–10 संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को राज्य स्तरीय चयन समिति को भिजवायेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लिये उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जाये। राज्य स्तर पर भेजे जाने वाले आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि का भौतिक सत्यापन कर ही प्रेपित किये जावे।

6.3 राज्य स्तरीय चयन समिति

- निदेशालय स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के पश्चात प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर उपलब्धि के आधार पर दिये गये अंकों की पुनः जॉच करेगी।
- समिति द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पुरस्कृत करने हेतु तीन-तीन नामों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायें जायेंगे।

7. आवेदन की प्रक्रिया


- आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के विद्यालयों एवं प्रथम चरण के उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017) तक आदर्श एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) तक उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा।
- संस्था प्रधान आदर्श विद्यालय अपने आवेदन पत्र-'अ' एवं संस्था प्रधान उत्कृष्ट विद्यालय आवेदन पत्र-'ब' में करेंगे। आवेदन का प्रारूप विभागीय बेवसाईट shiksha.rajasthan.gov.in पर सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान को पुरस्कृत करने हेतु आवेदन पत्र 'अ' व 'ब' नाम से उपलब्ध रहेगा।
- आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए निर्धारित पत्र 'अ' की तरह ही उत्कृष्ट विद्यालयों को विकसित करने एवं सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं की क्रियान्वयनि के आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए आवेदन पत्र 'ब' सर्व शिक्षा अभियान द्वारा तैयार करवाकर, अनुमोदन के पश्चात दिनांक 22.06.2017 तक shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- मूल्यांकन मुख्यतः आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के विद्यालयों एवं प्रथम चरण के उत्कृष्ट विद्यालयों को विकसित करने व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की योजनाओं को राजकीय विद्यालय में क्रियान्वयन के आधार पर होगा। आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन प्रपत्र-अ तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए प्रपत्र-ब रहेगा।
- आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए निर्धारित मूल्यांकन प्रपत्र 'अ' की तरह ही उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन प्रपत्र 'ब' सर्व शिक्षा अभियान द्वारा तैयार करवाकर, अनुमोदन करवाया जायेगा।
- संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय को विकसित करने के लिए किए गये कार्यों की गणना सम्बन्धित संस्था में उसके कार्य करने की समयावधि की ही होगी।
- संस्था प्रधान वर्ष 2016–17 के दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में विद्यालय में कम से कम 5 माह से अधिक कार्य अवधि होने पर ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान अपना आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान अपना आवेदन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
- संस्था प्रधान अपने आवेदन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा के पश्चात जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. मूल्यांकन एवं अनुशंसा समितियां आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करेगी। संस्था प्रधान के लिए अंक प्रणाली परिशिष्ट-1 उपलब्ध है।
12. आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी रहेगी :—

क्र. सं.	आवेदक वर्ग	आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अन्तिम तिथि	निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के 10-10 आवेदनों को राज्य सरकार को भेजने की अन्तिम तिथि	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम चयन दिनांक
1	संस्था प्रधान	20 जुलाई, 2017	30 जुलाई, 2017	10 अगस्त, 2017	20 अगस्त, 2017

Correction
18-08-2018

www.rajteachers.com

९

 (नरेश पाटेल गंगवार,
 शासन सचिव, स्कूल
 शिक्षा)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री महोदया
- शासन वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
- समर्त उपनिदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
- समर्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग
- समर्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान
- समर्त संस्था प्रधान, रामाविंशति / रामाविंशति राजस्थान
- रक्षित पत्रावली।

11 - प्रभारी ब्रेकाइट शिक्षा कृपया दिलाई
 निवृत्ति तथा आवेदन पर ३०/०८/२०१८
 साइट पर इन्हें लोड करें।

 शासन उप सचिव, प्रथम

परिशिष्ट-(अ)

आदर्श विद्यालय संस्था प्रधान के लिए आवेदन पत्र उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. सामान्य विवरण

- 1.1 राजकीय विद्यालय का नाम ——————
 1.2 विद्यालय स्तर :— कक्षा 1 से 12, 6 से 12, 9 से 12, 1 से 10 अथवा 6 से 10 ——————
 1.3 विद्यालय का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने का वर्ष ——————
 1.4 संस्था प्रधान का नाम ——————
 1.5 जन्मतिथि ——————
 1.6 इस विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यग्रहण की तिथि ——————
 1.7 क्या कोई विभागीय जाँच लम्बित है/ नहीं।
 1.8 विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया है/ नहीं।

2. उपलब्धि विवरण —

2.1 अकादमिक

2.1.1 नामांकन

कक्षा	सत्र 2015–16 का नामांकन		सत्र 2016–17 का नामांकन		17-18 Enroll C	प्रगति (प्रतिशत में) C = (B-A)*100/A	Average 16-17 D	अंक 17-18 E
	A	B	C	D				
1 से 5								
6 से 8								
9 से 10								
11 से 12								
कला								
विज्ञान								
वाणिज्य								
योग								
महायोग								

2.1.2 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि

2017-18

कक्षा	नामांकन			परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी			परीक्षा परिणाम			उत्तीर्ण प्रतिशत K = (I*100/F)	गत वर्ष से वृद्धि L	अंक M	
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	I	II	उत्तीर्ण	योग			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
10													
12													

2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	अंक
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा—प्रथम चरण		
राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा		
नेशनल मेरिट कम—गीन्स स्कॉलरशिप		

3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास

3.1 आधारभूत सुविधाएँ :-

	कार्यग्रहण से पूर्व से है तो उसकी साइज़ / संख्या / उपलब्धता	यदि सुविधा उपलब्ध नहीं है तो की गई कार्यवाही	कार्यग्रहण के बाद सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसकी साइज़ / संख्या / उपलब्धता	कहाँ से (राशि सहयोग ज्ञात)	अंक
खेल मैदान					
खेल सामग्री					
पेयजल					
शौचालय					
विद्यालय में कक्षा कक्ष					
चारदीवारी					
अन्य आधारभूत सुविधा					

3.2 विद्यालय में बेसिक टेलीफोन / ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुविधा एवं विद्युत कनेक्शन की प्रगति :-

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं	उपलब्धि वर्ष	अंक
1	बेसिक टेलीफोन			
2	ब्रॉडबैंड कनेक्शन			
3	विद्युत कनेक्शन			

3.3 ग्रीन बोर्ड स्थिति :-

कक्षा	लक्ष्य	कक्षा-कक्षों में ग्रीन बोर्ड की संख्या			उपलब्धि प्रतिशत	अंक
		2016-17 से पूर्व	2017-18 के दौरान	कुल बोर्ड		
1-5	5					
6-8	3					
9-10	2					
11-12	2					

3.4 विद्यालय परिसर सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालय को गोद देने की प्रगति :-

विवरण	विद्यालय रंग रोगन करवाया गया / नहीं	विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन करवाया गया / नहीं	आदर्श योजनानुसार नाम तथा लोगो लेखन करवाया गया / नहीं	विद्यालय परिसर स्वच्छता
अंक				

3.5 प्राथमिक कक्षाओं हेतु फर्नीचर व्यवस्था एवं लहर पैटर्न पर कक्षा कक्ष तैयार करवाने की प्रगति :-

विवरण	लहर पैटर्न पर तैयार कक्षा कक्षों की संख्या	अंक	फर्नीचर की स्थिति				कुल अंक
			नामांकन	फर्नीचर की उपलब्धता	उपलब्धि का प्रतिशत	अंक	
उपलब्धि							

3.6 आई.सी.टी. योजना :-

क्र. सं.	कुल उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या	कार्यशील कम्प्यूटरों की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत में) $D=C*100/B$	अंक	केवल आईसीटी तृतीय चरण				
					आईसीटी संचालन के कुल त्रैमासों की संख्या	जिला कार्यालय को प्रेषित परफॉर्मेन्स रिपोर्ट की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत में) $H=G*100/E$	कुल उपलब्धि $=(D+H)/2$	*अंक
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

नोट :- प्रथम एवं द्वितीय चरण आई.सी.टी. की उपलब्धि का अंकन कॉलम-D के आधार पर तथा आई.सी.टी. तृतीय चरण की उपलब्धि का अंकन कॉलम-I के आधार पर किया जायेगा।

3.7 विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर लैब की स्थिति :-

कम्प्यूटरों की कुल संख्या	कार्यशील कम्प्यूटरों की संख्या	अंक

3.8 विलक्षक योजना :-

क्र.सं.	प्रगति	अंक
1	एसडीएमसी की सहमति प्राप्त हो चुकी है	
2	संस्था के साथ एमओयू हो चुका है	
3	विलक्षक योजना शुरू हो गई है	

3.9 डिजीटल लिटरेसी :-

कार्मिक	संख्या	RS-CIT से प्रशिक्षित	PGDCA, MCA, BCA etc	शेष	RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सन्त्र 2018-19)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
A	B	C	D	E	F 2017-18	G	H
शिक्षक							
मंत्रालयिक कार्मिक							
रवांग							

3.10 आँगनबाड़ी का समन्वितीकरण :-

क्र.सं.	प्रगति	अंक
1	विद्यालय में आँगनबाड़ी का समन्वितीकरण हो गया है	

3.11 SIQE कार्यक्रम (प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति) :-

प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों की संख्या	SIQE प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत में)	अंक
A	B	C = B*100/A	D

3.12 SIQE की अवधारणा के अनुसार कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य की स्थिति :-

गतिविधि	डॉ/ नर्सी	अंक
(i)शिक्षकों का प्रशिक्षण हो गया है।		
(ii)विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि के आधार पर ग्रुप बना दिये गये हैं		
(iii)विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु चैकलिस्ट बना दी गई		
(iv)सीरीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरे जा रहे हैं		
(v)विद्यालय द्वारा शैक्षिक सुधार की कार्य योजना बना ली गई है		
(vi)पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग		

3.13 खेलकुद, सांस्कृतिक एवं विज्ञान प्रदर्शनी गतिविधियों में सहभागिता :-

गतिविधि	जिले में		अंक
	सहभागिता	स्थान	
खेलकुद			
सांस्कृतिक (कला उत्सव)			
विज्ञान प्रदर्शनी			

3.14 भामाशाह, दानदाता द्वारा प्राप्त राशि सहयोग (सामग्री अथवा नकद) :-

क्र.सं.	सहयोग का प्रकार	राशि (2015–16)	राशि (2016–17)	दोनों सत्रों में कुल राशि	अंक
1	जनसहयोग				
2	क्राउड फॉण्डिंग				
3	भामाशाह				
4	सी.एस.आर. योग				

नोट :- सहयोग में सामग्री प्राप्त होने पर उसकी अनुमानित राशि लिखें।

विद्यालय में सी.एस.आर., भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिये गये सहयोग का विवरण :-

सहयोगकर्ता का नाम	सहयोग का विवरण	सहयोग राशि	कार्य का विवरण जिसमें राशि का उपयोग किया गया है

नोट:- तीनों सत्रों का विवरण देंवें

3.15 विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास कोष (दो सत्रों 2015-16 एवं 2016-17 का विवरण) :-

क्र. सं.	विद्यार्थी कोष (2015-16 एवं 2016-17 में)			विकास कोष (2015-16 एवं 2016-17 में)			उपलब्धि प्रतिशत $G=(B+E)*100/(A+D)$	अंक
	प्राप्त राशि	व्यय राशि	1 अप्रैल 2017 को शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	1 अप्रैल 2017 को शेष राशि		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.								

क्र. सं.	व्यय विवरण (मद)	विद्यार्थी कोष (राशि)	विकास कोष (राशि)	योग D=B+C
A	B	C	D	E
1.	फर्नीचर			
2.	विद्यालय सौन्दर्यकरण			
3.	आई.सी.टी.			
4.	पेयजल			
5.	शौचालय			
6.	ग्रीन बोर्ड			
7.	प्रवेशोत्सव			
8.	योजनाओं के डिस्प्ले बोर्ड			
9.	खेलकूद सामग्री एवं प्रतियोगिताएँ			
10.	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (S.U.P.W.)			
11.	पुस्तकालय			
12.	पी.टी.ए. बैठक			
13.	माइनर रिपेयरिंग			
14.	विद्युत, पानी, टेलीफोन बिल का भुगतान			
15.	अन्य			

3.16 80G प्रगति :-

एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन नम्बर	एसडीएमसी को पैनकार्ड प्राप्त हो गया है (हाँ / नहीं)	80G में रजिस्ट्रेशन हो गया है (हाँ / नहीं)	अंक

3.17 SDMC, PTA एवं समीक्षा बैठकों तथा आयोजन की प्रगति :-

	बैठकों की निर्धारित संख्या	आयोजित की गयी बैठकों की संख्या	बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना (प्रतिशत में)	अंक
SDMC				
PTA				

3.18 आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत हुई समीक्षा बैठकों में उपस्थिति :-

विवरण	ब्लॉक में हुई कुल बैठकों की संख्या	भागीदारी (संख्या)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
ब्लॉक में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें				

3.19 विद्यालयों में किये गये नवाचार :-

संख्या	नवाचार का विवरण	अंक

3.20 निरीक्षण रिपोर्ट :-

फ्रॉ.सं	चयन समिति	स्तर (उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा)	अंक
1.	जिला स्तरीय कमेटी		
2.	निदेशालय स्तरीय कमेटी		
3.	राज्य स्तरीय कमेटी		

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है।
गलत पाये जाने पर मैं स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूँगा।

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

आवेदन पत्र अनुशंशित
हस्ताक्षर उपर्युक्त अधिकारी
मय नाम एवं सील

१७

मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र—अ)
(संस्थाप्रधानों के लिये)

क्र.सं	उपलब्धि विवरण	अधिकतम अंक विवरण 250	अंक
1	2.1 अकादमिक	2.1.1 नामांकन सत्र 2016–17 में (16 अंक) कक्षा 1 से 5 (2)	
	i. 100 तक	0	
	ii. 125 तक	2	
	iii. 125 से अधिक कक्षा 6 से 8(2)	4	
	i. 60 तक	0	
	ii. 90 तक	2	
	iii. 90 से अधिक कक्षा 9 से 10(2)	4	
	i. 40 तक	0	
	ii. 60 तक	2	
	iii. 90 से अधिक कक्षा 11 से 12(2)	4	
	i. एक संकाय में नामांकन 40 तक	0	
	ii. एक संकाय में नामांकन 80 तक	2	
	iii. एक संकाय में नामांकन 80 से अधिक	4	
	iv. दो संकाय में नामांकन 80 तक	0	
	v. दो संकाय में नामांकन 160 तक	2	
	vi. दो संकाय में नामांकन 160 से अधिक	4	
	vii. तीन संकाय में नामांकन 120 तक	0	
	viii. तीन संकाय में नामांकन 240 तक	2	
	ix. तीन संकाय में नामांकन 240 से अधिक	4	
	2.1.2 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (34) कक्षा 10 के लिये परीक्षा परिणाम (17)		
	i. 50 प्रतिशत से कम	0	
	ii. 50 से अधिक व 60 प्रतिशत तक	2	
	iii. 60 से अधिक व 80 प्रतिशत तक	5	
	iv. 80 प्रतिशत से अधिक	7	
	v. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 प्रतिशत से कम	0	
	vi. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 से 50 प्रतिशत तक	5	
	vii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक	7	
	viii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक	8	
	ix. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक	10	

	<p>कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम (17)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 50 प्रतिशत से कम 0 ii. 50 से अधिक व 60 प्रतिशत से कम 5 iii. 60 से अधिक व 80 प्रतिशत से कम 6 iv. 80 प्रतिशत से अधिक 7 <ul style="list-style-type: none"> v. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम 5 vi. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 से 50 प्रतिशत तक 6 vii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक 7 viii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक 8 ix. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक 10 	
	<p>2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा (15)</p> <p>एनटीएसई (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. एनटीएसई प्रथम चरण में एक विद्यार्थी के चयन पर 3 ii. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5 <p>एसटीएसई (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. एसटीएसई में एक विद्यार्थी के चयन पर 3 ii. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5 <p>एनएमएमएस (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. एनएमएमएस में एक विद्यार्थी के चयन पर 3 iv. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5 	
2	<p>3. राज.माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास</p> <p>3.1 आधारभूत सुविधाएँ (35)</p> <p>खेल बैदान व सामग्री (14)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर 2 ii. भूमि आवंटन कराने पर 5 iii. खेल सुविधाओं की स्थिति 5 iv. खेल सामग्री उपलब्ध 2 <p>पेयजल (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. सामान्य व्यवस्था 0 ii. अच्छी व्यवस्था 2 iii. बहुत अच्छी व्यवस्था 3 <p>शौचालय (10)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 50 से कम बालकों के लिए एक शौचालय 5 ii. 50 से कम बालिकाओं के लिए एक शौचालय 5 iii. 50 से अधिक बालकों के लिए एक शौचालय 3 iv. 50 से अधिक बालिकाओं के लिए एक शौचालय 3 <p>कक्षा कक्ष / चारदीवारी (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. पर्याप्त कक्षा कक्ष 2 ii. चारदीवारी 2 <p>अन्य आधारभूत सुविधा (4)</p>	
	<p>कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम (17)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 50 प्रतिशत से कम 0 ii. 50 से अधिक व 60 प्रतिशत से कम 5 iii. 60 से अधिक व 80 प्रतिशत से कम 6 iv. 80 प्रतिशत से अधिक 7 <ul style="list-style-type: none"> v. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम 5 vi. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 से 50 प्रतिशत तक 6 vii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक 7 viii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक 8 ix. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक 10 	
	<p>2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा (15)</p> <p>एनटीएसई (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. एनटीएसई प्रथम चरण में एक विद्यार्थी के चयन पर 3 ii. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5 <p>एसटीएसई (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. एसटीएसई में एक विद्यार्थी के चयन पर 3 ii. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5 <p>एनएमएमएस (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. एनएमएमएस में एक विद्यार्थी के चयन पर 3 iv. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5 	
2	<p>3. राज.माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास</p> <p>3.1 आधारभूत सुविधाएँ (35)</p> <p>खेल बैदान व सामग्री (14)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर 2 ii. भूमि आवंटन कराने पर 5 iii. खेल सुविधाओं की स्थिति 5 iv. खेल सामग्री उपलब्ध 2 <p>पेयजल (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. सामान्य व्यवस्था 0 ii. अच्छी व्यवस्था 2 iii. बहुत अच्छी व्यवस्था 3 <p>शौचालय (10)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 50 से कम बालकों के लिए एक शौचालय 5 ii. 50 से कम बालिकाओं के लिए एक शौचालय 5 iii. 50 से अधिक बालकों के लिए एक शौचालय 3 iv. 50 से अधिक बालिकाओं के लिए एक शौचालय 3 <p>कक्षा कक्ष / चारदीवारी (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. पर्याप्त कक्षा कक्ष 2 ii. चारदीवारी 2 <p>अन्य आधारभूत सुविधा (4)</p>	

	i. सामान्य व्यवस्था ii. अच्छी व्यवस्था iii. बहुत अच्छी व्यवस्था	1 2 4
	3.2 टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, विद्युतीकरण (9)	
	i. बेसिक टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने पर ii. ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर iii. विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर	3 3 3
	3.3 ग्रीन-बोर्ड (8)	
	i. कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से कम ii. कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से अधिक iii. कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से कम iv. कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से अधिक v. कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से कम vi. कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से अधिक vii. कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से कम viii. कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से अधिक	0 1 0 2 0 2 0 2
	3.4 विद्यालय सौन्दर्यीकरण (10)	
	i. विद्यालय रंग रोगन किये जाने पर ii. विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन iii. आदर्श विद्यालय योजनानुसार नाम लेखन iv. विद्यालय परिसर स्वच्छता	3 2 2 3
	3.5 फर्नीचर एवं लहर कक्ष (10)	
	फर्नीचर (5)	
	i. विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 2 5
	लहर कक्ष (5)	
	i. 2 से कम लहर आधारित कक्षा-कक्ष ii. 2 लहर आधारित कक्षा-कक्ष iii. 2 से अधिक लहर आधारित कक्षा-कक्ष	1 3 5
	3.6 आईसीटी योजना (5)	
	i. 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 2 5
	3.7 कम्प्यूटर लैब (5)	
	i. विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या (5 तक) ii. विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या (5 से अधिक)	3 5
	3.8 किलक योजना (5)	
	i. एस.डी.एम.सी. की सहमति ii. संस्था से एम.ओ.यू. www.rajteachers.com iii. किलक योजना शुरू	1 2 2

	3.9 डिजिटल लिटरेसी (5)	
i.	RKCIT/PGDCA/MCA/BCA स्वयं प्रशिक्षित	2
ii.	विद्यालय के शिक्षक / कार्मिकों द्वारा RKCIT/PGDCA/MCA /BCA प्रशिक्षण 80 प्रतिशत	1
iii.	80 प्रतिशत से अधिक	3
3.10 औंगनबांडी समन्वितीकरण (3)		
i.	नहीं हुआ है	0
ii.	हो गया है	3
3.11 SIQE प्रशिक्षण (3)		
i.	समस्त प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर	3
ii.	प्रशिक्षण शेष रहने पर	0
3.12 SIQE कक्षाकक्ष शिक्षण (12)		
i.	प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने पर	2
ii.	विद्यार्थियों के विषयवार ग्रुप बनाने पर	2
iii.	विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के लिये चैक लिस्ट बनाने पर	2
iv.	सीसीई के आवश्यक प्रपत्र भरे जाने पर	2
v.	शैक्षिक कार्ययोजना बनाने पर	2
vi.	पुस्तकालय व वाचनालय का उपयोग किया जाने पर	2
3.13 खेलकूद, विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता (15)		
	खेलकूद (5)	
i.	किसी भी खेल में राज्य में प्रथम स्थान	5
ii.	किसी भी खेल में राज्य में द्वितीय स्थान	3
iii.	किसी भी खेल में राज्य में तृतीय स्थान	2
	सांस्कृतिक एवं कला उत्सव (5)	
i.	सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में प्रथम स्थान	5
ii.	सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में द्वितीय स्थान	3
iii.	सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में तृतीय स्थान	2
	विज्ञान प्रदर्शनी (5)	
i.	विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान	5
ii.	विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में द्वितीय स्थान	3
iii.	विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में तृतीय स्थान	2
3.14 भासाशाह, दानदाता सहयोग (7)		
i.	विद्यालय में 1-5 लाख तक राशि का सहयोग	2
ii.	5-10 लाख तक राशि का सहयोग	5
iii.	10 लाख से अधिक राशि का सहयोग	7
3.15 विद्यार्थी एवं विकास कोष (8)		
i.	60 प्रतिशत से कम	0
ii.	60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	5
iii.	80 प्रतिशत से अधिक	8
3.16 80G (5)		
i.	एसडीएमसी पैनकार्ड प्राप्ति	2

	ii. 80G रजिस्ट्रेशन 3.17 SDMC, PTA बैठक (6) एसडीएमसी बैठक (3) i. बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत ii. बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत से कम पीटीए बैठक (3) i. बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत ii. बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत से कम 3.18 ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक (3) i. 80 प्रतिशत से कम ii. 80 प्रतिशत से अधिक 3.19 नवाचार (6) i. एक नवाचार करने पर ii. एक से अधिक 3.20 (A) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर(5) i. उत्कृष्ट पाये जाने पर ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर iii. अच्छा पाये जाने पर 3.20 (B) निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (10) i. उत्कृष्ट पाये जाने पर ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर iii. अच्छा पाये जाने पर 3.20 (C) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा (10) i. उत्कृष्ट पाये जाने पर ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर iii. अच्छा पाये जाने पर	3 3 0 3 0 0 3 3 3 6 6 5 3 1 10 6 3 10 6 3
--	---	--

उपलब्धिवार मूल्यांकन

क्र.सं.	उपलब्धि बिन्दु	उपलब्धि	पूर्णक
1.	2.1.1	नामांकन	16
2.	2.1.2	विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि	34
3.	2.1.3	प्रतिभा खोज परीक्षा	15
4.	3.1	आधारभूत सुविधाएँ	35
5.	3.2	टेलीफोन, ब्रॉडबैण्ड, विद्युतीकरण	9
6.	3.3	ग्रीन बोर्ड	8
7.	3.4	विद्यालय सौन्दर्यीकरण	10
8.	3.5	फर्नीचर एवं लहर कक्ष	10
9.	3.6	आई.सी.टी. योजना	5
10.	3.7	कम्प्यूटर लैब	5
11.	3.8	किलक योजना	5
12.	3.9	डिजीटल लिटरेसी	5
13.	3.10	ऑँगनबाड़ी समन्वितीकरण	3
14.	3.11	SIQE प्रशिक्षण	3
15.	3.12	SIQE कक्षाकक्ष शिक्षण	12
16.	3.13	खेलकूद, विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता	15
17.	3.14	भामाशाह, दानदाता सहयोग	7
18.	3.15	विद्यार्थी एवं विकास कोष	8
19.	3.16	80G प्रगति	5
20.	3.17	SDMC, PTA बैठक	6
21.	3.18	ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक	3
22.	3.19	नवाचार	6
23.	3.20	निरीक्षण रिपोर्ट	25
कुल अंक			250